राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– प–5(3) आ.कृ/कृसू/स.नि./2016–17/511–794 दिनांक : 5/5/16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (समस्त)
संयुक्त निदेशक, कृषि (विस्तार) खण्ड (समस्त)
परियोजना निदेशक, कृषि (विस्तार) सी.ए.डी. कोटा
उपनिदेशक कृषि (विस्तार) आईजीएनपी बीकानेर
उपनिदेशक कृषि विस्तार जि. प. (समस्त)
उपनिदेशक (उद्यान) समस्त
परियोजना निदेशक आत्मा (समस्त)
सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) (समस्त)
सहायक निदेशक उद्यान (समस्त)

विषयः–कृषि सूचना गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश वर्ष 2016–17 बाबत्।

कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों, उन्नत कृषि तकनीकी, नवाचार आदि के प्रचार–प्रसार हेतु आकाशवाणी, दूरदर्शन, प्रिंट मीडिया व अन्य संचार विधाओं का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इन विधाओं का प्रभावी उपयोग कृषि गतिविधियों के प्रचार–प्रसार में करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं। कृपया विभिन्न विधाओं का उपयोग करते हुए सृजनात्मक ढंग से सरल, रोचक एवं प्रभावशाली रुप में किसानों तक जानकारी पहुँचाकर जनसंचार माध्यमों का कुशलतम उपयोग सुनिश्चित कराएं।

(डॉ. नीरज के. पवन)
आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव कृषि

क्रमांकः– प–5(3) आ.कृ/कृसू/स.नि./2016–17/ 511–794 दिनांक 5/5/1
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 कृषि मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव कृषि, राजस्थान जयपुर
4. सम्भागीय आयुक्त (समस्त)
5. जिला कलक्टर (समस्त)
6. अपर निदेशक, कृषि (विस्तार/आदान/अनुसंधान/एनएमओओपी/समन्वयक) कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक समेती (आत्मा), चतुर्थ तल अकादमिक भवन, राज्य प्रबंधन संस्थान, दुर्गापुरा, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहाकार कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर
9. संयुक्त निदेशक, कृषि (प्रशासन/योजना/पौध संरक्षण/रसायन/एटीसी/आदान/फसल/बीमा/सांख्यिकी/एनएमओओपी/प्रबोधन एवं मूल्यांकन/जल उपयोग प्रकोष्ठ/गुण नियंत्रण/RKVY) राज0, जयपुर।
10. उपनिदेशक, कृषि (प्रशासन/बीज/विस्तार/अभियांत्रिकी/रसायन/कम्प्यूटर) मु0, जयपुर।

आयुक्त एवं पदेन विशिष्ठ शासन सचिव कृषि

कृषि सूचना : दिशा निर्देश (2016–17)

कृषकों में उन्नत तकनीक का प्रचार–प्रसार, नवाचारों के प्रति जागरूकता तथा सफल कृषकों के अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों व अन्य संचार विधाओं एवं उपकरणों का उपयोग किया जाना आवश्यक है। इनमें से कुछ गतिविधियाँ पंचायतीराज के अधीन कृषि कार्यालयों द्वारा सीधे तथा कुछ कृषि विभाग द्वारा पंचायतीराज के समन्वय से क्रियान्वित की जानी है। इनके प्रभावी व सफल क्रियान्वयन हेतु गतिविधिवार दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैं :–

गतिविधि / कार्यक्रम	नोडल अधिकारी
1– आकाशवाणी से ''खेती री बातां'' – ● आकाशवाणी केन्द्र, जयपुर से इस कार्यक्रम का प्रसारण राज्य के सभी 16 आकाशवाणी केन्द्रों से वित्तीय वर्ष 2015–16 में जारी रखा गया है। कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन सायं 7.45 से 8.15 तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ भाग लेते हैं तथा कृषकों को उपयोगी जानकारी सामयिक रूप से देते हैं। ● इस कार्यक्रम में सोमवार को सप्ताह के कृषि कार्यों की जानकारी कृषकों को दी जाती है। मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को फोन–इन कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। बुधवार को कृषि, उद्यान, पशुपालन, कृषि विपणन आदि से संबंधित विषयों पर समसामयिक जानकारी दी जाती है। शुक्रवार को राज्य में स्थित अन्य आकाशवाणी केन्दों का अंशदान तथा रविवार को ओ.बी. रिकॉर्डिंग आधारित कृषि संस्थानों की गतिविधियों एवं सफल किसानों से भेंटवार्ताये / कार्यक्रम प्रसारित किये जाते है। ● फोन–इन कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी जयपुर के दूरभाष नं0 0141–2200600, 0141–2200700, 0141–2200800 हैं। ● कार्यक्रम के प्रभावी कियान्वयन हेतु क्षेत्रीय अधिकारी व कृषक अपने सुझाव एवं उनके क्षेत्र के नवाचार कार्यकमों की जानकारी उप निदेशक कृषि(सूचना) को भेजकर कार्यक्रम में शामिल करवा सकते हैं। ● इस कार्यक्रम का अधिकाधिक प्रचार प्रसार कर कृषकों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जावे। ● इस गतिविधि का व्यय राज्य स्तर पर आयोजन मद से किया जायेगा।	उप निदेशक कृषि (सूचना) / समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि. प.
2– **दूरदर्शन से ''खेती–बाड़ी'' कार्यक्रम** : कृषकों को कृषि विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभागीय योजनाओं / कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराने, कृषि सम्बन्धी समस्याओं का समाधान विशेषज्ञों के द्वारा उपलब्ध कराने, सफल व नवाचारी कृषकों की सफलता की कहानियों के प्रचार–प्रसार के लिये विभाग द्वारा स्वयं निर्मित आधे घन्टे का कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम ''खेती–बाड़ी'' का प्रसारण प्रत्येक गुरूवार को सायं 7. 30 बजे दूरदर्शन के माध्यम से किया जाता है। यह कार्यक्रम वर्ष 2015–16 में ''खेती–बाड़ी–2'' के नाम से प्रसारित किया जायेगा। इसमें योजनाओं की जानकारी, विशेषज्ञों से चर्चा, समस्या–समाधान, उलझन–सुलझन, पखवाड़े के काम, संदेश, सफलता की कहानियाँ, नवाचार, लघुफिल्म, क्लिपिंग्स आदि का समावेश कर कार्यक्रम को सरल व रोचक बनाया जाता है। इस कार्यक्रम का समस्त व्यय आयुक्तालय स्तर से आयोजना भिन्न मद से किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में आयोजना मद से भी किया जा सकता है। इस कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी और कृषकोपयोगी बनाने हेतु क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट	समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), / समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार), जि.प.

कार्य–कलापों एवं उपलब्धियों का विवरण, सफलता की कहानियों, सफल प्रदर्शनों, नवाचारों एवं कृषक समूह द्वारा ग्रेडिंग पैकिंग आदि का विवरण ''खेती–बाड़ी''–2 कार्यक्रम में समावेश हेतु उप निदेशक कृषि(सूचना) को समय पर भिजवाएं। • कृषि विभाग द्वारा करवाये गये उत्कृष्ट कार्यों, आत्मा योजनान्तर्गत पुरस्कृत कृषको, विशेषज्ञ कृषकों एवं कृषक विशेष/क्षेत्र विशेष द्वारा किये कार्यो की शूटिंग योग्य गतिविधियों की सूचना के साथ कृषक के पूर्ण पते, दूरभाष नम्बर एवं शूटिंग किये जाने के माह आदि की सूचना के साथ उपनिदेशक कृषि सूचना को समय– समय पर भिजवायें ताकि सफलता की कहानी तैयार कर ''खेती बाड़ी''–2 कार्यक्रम मे प्रसारित की जा सके।	
3– प्रिंट मीडिया का उपयोग –राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा अनुमोदित प्रमुख समाचार पत्रों, पत्रिकाओं के माध्यम से कृषि की उन्नत तकनीक एवं किसानों के लाभार्थ चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार–प्रसार किया जाएगा। इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी उप निदेशक, कृषि (सूचना) होंगे।	उप निदेशक कृषि (सूचना)
4– किसानों के लिए कृषक मित्रवत् साहित्य प्रकाशन : • खरीफ एवं रबी की खण्डवार ''पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज'' (पी.ओ.पी) पुस्तिकाओं का मुद्रण खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) द्वारा आयुक्तालय के पत्र क्रमांक एफ 5 (27) आ.कृ/कृ.सू/कृ.अ /2016–17/ 53–62 दिनांक 12.04.2016 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एवं राजस्थान लोक उपामन में पारदर्शिता नियम, 2013 व सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत कराया जायेगा। सभी खण्ड प्रभारी निर्धारित संख्या में पीओपी पुस्तिकाएं व सी.डी. (सॉफ्ट कॉपी) समय पर सूचना शाखा को भिजवायेंगे। इसके लिये सभी खण्ड कार्यालयों को ''आयोजना भिन्न मद'' में 50–50 हजार रू0 का बजट आवंटन किया जायेगा। कृपया आवंटित बजट सीमा में ही व्यय किया जाना सुनिश्चित करें। • कृषि आयुक्तालय, खण्ड एवं जिला स्तर से उन्नत कृषि तकनीक, कृषि योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु आवश्यकतानुसार कृषक मित्रवत् साहित्य जैसे फोल्डर, पेम्फलेट, पोस्टर्स, पुस्तकें आदि का मुद्रण आयुक्तालय के पत्र क्रमांक प.5(25–ए)/आकृ./कृसू./2013–14/4242–4352 दिनांक 18.2.2014 द्वारा भिजवाये गये विवरण अनुसार अनुमोदित मुद्रकों से अनुमोदित दरों पर निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप कराया जायेगा। • कृषि आयुक्तालय स्तर से समय–समय पर आवश्यकतानुसार राज्य के समस्त जिलों के लिए उपयोगी कृषि साहित्य जैसे पैम्फलेट, फोल्डर, पुस्तकें आदि प्रकाशित कर भिजवाये जायेंगे। मुद्रण संबंधित समस्त कार्यवाही उप निदेशक, कृषि (सूचना) द्वारा करवाई जायेगी। • मुद्रित साहित्य का वितरण राज्य के कृषकों को निःशुल्क किया जायेगा। सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, गोष्ठियों, मेलों, किसान सेवा केन्द्रों पर आने वाले किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों के पुस्तकालयों, जन प्रतिनिधियों, स्कूलों, स्वयंसेवी संगठनों आदि को आवश्यकतानुसार आयुक्तालय से प्राप्त कृषि साहित्य उपलब्ध करवाया जायेगा। सभी कार्यालय कृषि आयुक्तालय/अनुमोदित मुद्रक से प्राप्त साहित्य को ट्रांसपोर्टर से प्राप्त कर 7 दिवस में साहित्य की प्राप्ति रसीद मय स्टॉक इन्द्राज उप निदेशक, कृषि (सूचना) को भिजवायेंगे।	उपनिदेशक कृषि (सूचना)/ समस्त खण्डीय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार)/ समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार) जि. प.